

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्या:-48/2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

—स्टेट

बनाम

कुलविन्द्र सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति रायसिख निवासी-सरामसर पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975



उपस्थित:-1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।

2. श्री दलीप सारस्वत अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-12.03.2022

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल कुलविन्द्र सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति रायसिख निवासी-सरामसर पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। गैरसायल जवान उम्र का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो लड़ाई झगड़ा व मारपीट, चोरी, नकबजनी, अवैध शराब का धन्धा करने नाजायज हथियार रखने जैसे अपराध करने का आदि है। नाजायज शराब बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर आर्थिक हानि पहुंचा रहा है। गैरसायल पुलिस थाना पीलीबंगा का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। गैरसायल की आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, पीलीबंगा के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मु. नं.	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	190/04	चालान	बरी
2	225/05	चालान	राजीनामा बरी
3	256/06	चालान	पैण्डिंग
4	84/07	चालान	पैण्डिंग
5	299/07	चालान	सजा
6	69/08	चालान	बरी
7	486/08	चालान	जुर्माना
8	03/10	चालान	बरी
9	16/10	चालान	पैण्डिंग
10	23/10	चालान	पैण्डिंग
11	79/10	चालान	पैण्डिंग
12	183/12	चालान	पैण्डिंग
13	220/12	चालान	सजा
14	419/12	चालान	सजा
15	306/13	चालान	पैण्डिंग
16	554/13	चालान	पैण्डिंग
17	72/14	चालान	पैण्डिंग
18	211/14	चालान	पैण्डिंग
19	483/16	चालान	पैण्डिंग
20	169/16	चालान	पैण्डिंग
21	660/16	चालान	पैण्डिंग
22	341/18	चालान	पैण्डिंग

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल कुलविन्द्र सिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति रायसिख निवासी-सरामसर पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित होकर दिनांक 03.06.2021 को जवाब इस्तगासा पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।


गैरसायल के वकील ने जवाब इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध 7 मुकदमें लम्बित हैं तथा अन्य प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है व अधिकतर मुकदमों में प्रार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी आदतन अपराधी नहीं है और न ही प्रार्थी द्वारा किसी को डराया धमकाया गया है। इसके बाद प्रार्थी पर कोई नया मुकदमा नहीं बनाया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल द्वारा हल्फनामा दिनांक 12.03.2022 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे खिलाफ वर्तमान में किसी भी पुलिस थाना व न्यायालय में कोई भी फौजदारी मुकदमा विचाराधीन नहीं है व ना ही किसी मुकदमों में मिकर को सजा हुई है। मिकर के विरुद्ध पूर्व में जो मुकदमों दर्ज हुये थे उनका निस्तारण हो चुका है। प्रार्थी ने आपने आचरण में सुधार कर लिया था तथा वर्तमान में मजदूरी कर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन-यापन कर रहा है। प्रार्थी भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लुंगा इसके लिये अपने आप को पाबंद करता हूं। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रुख अपनाते हुए इसके विरुद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(I,III,VII) में वर्णित अपराध कारित किये हैं जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को कुछ प्रकरणों में अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं कुछ प्रकरणों में बरी किया गया है। किन्तु ज्यादातर उक्त अपराध वर्ष 200 से 2016 में दर्ज किये गये हैं इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि गैरसायल कुलविन्द्र सिंह पुत्र हरबंश सिंह ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन-यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में गैरसायल को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने व कस्बा में सामाजिक शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा द्वारा गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा ड्रॉप(Drop) किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़